न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सख्याः– 62 / 2014
वादीगण :–

गिरधारी पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी निवासी सांसियो की ढाणियां ग्राम खारडा व तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नौसेरी बेवा स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 502 नेहरू कॉलोनी ,पांच बत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
2. लादूराम पुत्र स्व.भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 429 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
3. हुकमाराम पुत्र स्व.भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 429 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
4. श्रीमति नथकी पत्नी समुजी एवं पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 458 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
5. श्रीमति सोनी पत्नी जगदीश एंव पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव बोयल तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. श्रीमति गीता पत्नी कबूडी एवं पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 505 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
7. श्रीमति हीरकी पत्नी पाबूराम पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव गुजरावास तहसील व जिला जोधपुर
8. जमना पत्नी अशोक पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव बोयल तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. किसनाराम पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी, निवासी– सांसियो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर।
10. खेताराम पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी, निवासी– सांसियो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–बाबत बंटवाडा, रेकर्ड, दुरूस्ती, घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– **18 अगस्त 2020**

उपस्थितिः– श्री शंकरलाल सिनावडिया, श्री नरेन्द्र सिनावडिया अधिवक्ता वादीगण।
श्री पृथ्वीपाल सिंह दैया अधिवक्ता प्रतिवादीगण।
श्री रिड़मल मेहर, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से लोक अदालत की भावना से एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम खारडा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 61 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा , एव खसरा नम्बर 62 रकबा 7 बीघा 29 बिस्वा भूमि के बटवाडे एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेत पेश किया है उक्त खसरों में से खसरा नम्बर 61 की भूमि वाद प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही पक्षकारों द्वारा बेची जा चुकी है लेकिन सहवन से यह वाद खसरा नम्बर 61 के बाबत प्रस्तुत कर दिया गया था चुकी खसरा नम्बर 61 की भूमि पूर्व में ही पक्षकारान् द्वारा बेची जा चुकी है इसलिए खसरा नम्बर 61 की भूमि अब इस वाद की विषय वस्तु नही है। अब यह वाद मात्र खसरा नम्बर 62 की रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि के बटवाडे बाबत शेष है । जिसका पक्षकारों ने बैठकर आपस में बटवाडा कर लिया है। प्रतिवादी सख्या 11 रहीमा पत्नी स्व.कमाराम का स्वर्गवास को हो गया है। रहीमा के वारिसान पहले से ही वाद में बतौर पक्ष 11 रहीमा पत्नी स्व. कमाराम जी का स्वर्गवास को हो गया है। रहीमा के वारिसान् पहले से ही इस वाद में बतौर पक्षकारान् जिनके अलावा रहीमा का अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। इसलिये रहीमा का स्वर्गवास हो जाने से रहीमा का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण में निहीत हो गया हैं। प्रतिवादीनी सं. 4 नथकी, प्रतिवादीनी सं0 5 सोनी, प्रतिवादीनी सं. 6 गीता, प्रतिवादीनी सं. 7 हीरकी एवं प्रतिवादीनी सं0 8 जमना जो कि स्व. भलाराम इसलिये इनके हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 में निहीत हो गयी हैं। इस प्रकार अब इस वाद में खसरा नम्बर 62 की 7 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि का बंटवाडा वादी प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रतिवादी सं. 9 व प्रतिवादी सं. 10 के बीच आपस में निम्न प्रकार से करने हेतु रजामंदी हो गयी है और इनके बीच हुए बंटवाडे को दर्शाने के लिये इस राजीनामा के साथ एक नक्शा संलग्न किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग रंग व मार्क से दर्शाया गया हे। पक्षकारों के बीच हुआ बंटवाडा निम्न प्रकार से है :—

1. राजीनामा के साथ संलग्न नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया भाग मार्क ए जिसका रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा है, वह प्रतिवादी सं. 9 किसनाराम के बंट व हिस्से में आया हैं।
2. राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया भाग मार्क बी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 1 से 3 नौसेरी, लादुराम, हुकमाराम के बंट व हिस्से में आया हैं।
3. राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया भाग मार्क सी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 10 खेताराम के बंट व हिस्से में आया हैं।
4. राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया भाग मार्क डी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह वादी गिरधारी के बंट व हिस्से में आया हैं।

   इस प्रकार पक्षकारों के बीच हुए उपरोक्त राजीनामा के अनुसार पक्षकारान् इस वाद का निस्तारण कराने के लिये सहमत हैं।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह वाद माफिक राजीनामा के डिक्री किया जाकर राजस्व अधिकारी को माफिक राजीनामा एवं न्यायालय श्री की डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमावें।

इस न्यायालय में पूर्व में प्रतिवादी संख्या 11 रहीमा को पक्षकार बनाया गया था लेकिन रहीमा का स्वर्गवास हो जाने के कारण अधिवक्ता की ओर से पक्षकार हटाये जाने का अनुरोध किया तथा इनके कायम मुकाम पहले से ही वादी एवं प्रतिवादीगण रेकर्ड पर मौजूद है इसलिए वादी विद्वान अधिवक्ता की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 रहीमा का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

हमने प्रस्तुत वाद, राजीनामा, राजस्व रेकर्ड एवं प्रकरण में उपस्थित उभय पक्षकारों के अधिवक्तागण एवं पक्षकारान्गण व वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा की गई। पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से लोक अदालत की भावना से एवं आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया गया है एवं दोनो पक्षकारान्गण राजीनामा अनुसार डिक्री करवाना चाहते है इसलिए राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

राजीनामा के साथ संलग्न नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया भाग मार्क ए जिसका रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा है, वह प्रतिवादी सं. 9 किसनाराम के बंट व हिस्से में आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया भाग मार्क बी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 1 से 3 नौसेरी, लादुराम, हुकमाराम के बंट व हिस्से में आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया भाग मार्क सी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 10 खेताराम के बंट व हिस्से में आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया भाग मार्क डी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह वादी गिरधारी के बंट व हिस्से में आया हैं। सलंग्न राजीनामा एवं नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग समझा जायेगा। उक्तानुसार पक्षकारो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक. 18 अगस्त 2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत *न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर* मुकाम जोधपुर व इजलास *हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)*

वादीगण :–

गिरधारी पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी निवासी सांसियो की ढाणियां ग्राम खारडा व तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नौसेरी बेवा स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 502 नेहरू कॉलोनी ,पांच बत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
2. लादूराम पुत्र स्व.भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 429 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
3. हुकमाराम पुत्र स्व.भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 429 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
4. श्रीमति नथकी पत्नी समुजी एवं पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 458 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
5. श्रीमति सोनी पत्नी जगदीश एंव पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव बोयल तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. श्रीमति गीता पत्नी कबूडी एवं पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी मकान नम्बर 505 नेहरू कॉलोनी पांचबत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर
7. श्रीमति हीरकी पत्नी पाबूराम पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव गुजरावास तहसील व जिला जोधपुर
8. जमना पत्नी अशोक पुत्री स्व. भलाराम जाति सांसी निवासी गांव बोयल तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. किसनाराम पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी, निवासी– सांसियो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर।
10. खेताराम पुत्र स्व. श्री कमाराम जाति सांसी, निवासी– सांसियो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 62/2014 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे विद्वान श्री शंकरलाल सिनावाडिया, श्री नरेन्द्र सिनावडिया अधिवक्ता वादी एवं श्री पृथ्वीपाल सिंह दैया व श्री रिड़मल मेहर अधिवक्ता प्रतिवादीगण हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि:–

अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है राजीनामा के साथ संलग्न नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया भाग मार्क ए जिसका रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा है, वह प्रतिवादी सं. 9 किसनाराम के बंट व हिस्से में

आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया भाग मार्क बी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 1 से 3 नौसेरी, लादुराम, हुकमाराम के बंट व हिस्से में आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया भाग मार्क सी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह प्रतिवादी सं. 10 खेताराम के बंट व हिस्से में आया हैं। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया भाग मार्क डी जिसका रकबा 1 बीघा है, वह वादी गिरधारी के बंट व हिस्से में आया हैं। सलंग्न राजीनामा एवं नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग समझा जायेगा। उक्तानुसार पक्षकारो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

लीज....ग......मुबलिक......ग.....बाबत्.....ग....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........ग....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......ग........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 18 अगस्त 2020 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अह्वान् बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक		

नोट— इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर